



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026—पौष 10, शक 1948

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2026

क्रमांक SAMB/0510/2026-NYN-SAMB (1130168)/ 676 - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 उपधारा (1) के खंड (क) के तहत अनुसूची के शीर्ष "दो - धान्य" के अधीन नवीन मद 15 - "कीनवा" तथा शीर्ष "पंद्रह - कृषि औषधीय उपज" के अधीन नवीन मद 67 - "चियाबीज", 68 - "अकरकरा", 69 - "हिगोट", 70 - "जामून", 71 - "कंठकारी", 72 - "भृंगराज", 73 - "टैसुफूल", 74 - "गांगड़ी", 75 - "बबूलफली", 76 - "एलोवेरा पत्ती", 77 - "गोखरू", 78 - "नागर मोथा", 79 - "निर्गुणी", 80 - "गटारन", 81 - "सरफोका", 82 - "अमरबेल", 83 - "सहजन पत्ती", 84 - "बिच्छू फल", 85 - "लताकस्तूरी", 86 - "नीलगीरी", 87 - "इन्द्रायण फल", 88 - "चेना", 89 - "हारसिंगार पत्ती", 90 - "सनाय पत्ती", 91 - "सनाय बीज", को स्थापित करने के लिए, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्तिया या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा या प्रबंध संचालक द्वारा यथा निदेशित किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत वरवड़े, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2026

क्रमांक SAMB/0510/2026-NYN-SAMB(1130168)-677.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, सचिव.

Bhopal, the 26th March 2026

No. SAMB/0510/2026-NYN-SAMB (1130168)/ 677 - In exercise of the powers conferred in the proviso to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, publish its proposal to add Item No 15 - "Quinova" under the heading "II - Cereals" and Item No 67 - "ChiaSeeds", 68 - "Akarkara", 69 - "Hingot", 70 - "Jamun", 71 - "Kantakari", 72 - "Bhringraj", 73 - "Tesu Flower", 74 - "Gangri", 75 - "BaboolPhali", 76 - "Aloe Vera Leaf", 77 - "Gokhru", 78 - "Nagarmotha", 79 - "Nirguni", 80 - "Gataran", 81 - "Sarphoka", 82 - "Amarbel", 83 - "Sahjan Leaf", 84 - "Bichchu Phal", 85 - "Lata Kasturi" 86 - "Nilgiri", 87 - "Indrayan Fruit", 88 - "Chena", 89 - "Harsingar Leaf", 90 - "Senna Leaf", 91 - "Senna Seed" under the heading "XV - Agriculture Medicinal Produce" of the Schedule under clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette"

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government or the Managing Director.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Secy.